

कार्यालय प्राचार्य;

"वीरभद्रा रानी अक्लि बाई लोधी"

राजकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय

सगादोला, जिला राजनांदगांव (उ.प्र.)

कक्षा-292- दिनांक 02/01/2025

प्रति

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

अहम नगर रायपुर (छ.ग.)

विषय - सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद  
प्रतिबंधित संबंधी मोरिस बोर्ड बाबत

संदर्भ - आयुक्त उच्च शिक्षा का पत्र क्रमांक 236/93/  
आशशि./न्या.प्र./2024 तथा रायपुर अहम नगर  
दिनांक 31/12/2024

श्रीश्री

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस महाविद्यालय में  
100मीटर के दायरे में कोई भी तम्बाकू उत्पाद की बिक्री  
नहीं हो रही है। तथा उक्त संबंध में बाहर मोरिस  
बोर्ड भी उपस्थित है। जिसमें वैधानिक चेतना की गई है।  
उक्त संबंध में महाविद्यालय के वेबसाइट पर उपांग  
पत्र अपलोड किया जा चुका है।

सादर सूचना

प्राचार्य

वीरभद्रा रानी अक्लि बाई लोधी  
राजकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय  
सगादोला, जिला राजनांदगांव (उ.प्र.)

प्रचार्य वीरंगना रानी अवन्ती बाई लोधी शासकीय कला एवं  
वाणिज्य महाविद्यालय - रामासेला जिला - राजनांदगाँव (छ.ग.)

प्रमाण पत्र

दिनांक 02/01/2025

इस महाविद्यालय परिसर के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू  
उत्पाद विक्रय शक्ति प्रतिक्रियित है। एवं यह 24 धारा  
24 के अन्तर्गत 200 रु जुर्माना के साथ 400 की घ अपराध है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस महाविद्यालय  
परिसर के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचने  
वाली दुकान नहीं है।

AW

प्रचार्य

वीरंगना रानी अवन्ती बाई लोधी  
शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय  
रामासेला, जिला राजनांदगाँव (छ.ग.)